प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 10.02.2025

- **कानपुर देहात पुलिस की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कडी कार्यवाही जारी।**
- **थाना रूरा पुलिस द्वारा व्यापारी के साथ लूट की घटना का प्रयास करने में शामिल 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वादी श्री अंकुर गुप्ता पुत्र श्री जगदीश गुप्ता निवासी वार्ड नं0-1 सुभाष नगर मेन रोड रुरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा स्वयं व उसके सेल्समेन के साथ लूट का प्रयास करने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रूरा पर दिनांक 07.02.2025 को मु0अ0सं0 38/2025 धारा 309 (5) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्य के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त हर्षित यादव उर्फ छोटू पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी वनवारीपुरवा गैजूमऊ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.02.2025 को समय करीब 19:50 बजे रेलवे अण्डरपास ग्राम सराया थाना क्षेत्र रुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना रुरा पर मु0अ0सं0 41/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.हर्षित यादव उर्फ छोटू पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी वनवारीपुरवा गैजूमऊ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरा मित्र हरिओम सविता उर्फ दीपक पुत्र ललित नारायण निवासी स्टेटबैंक के सामने शिवाजी नगर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात परचून की दुकान करता है। बाजार का इसके पास काफी उधारी है इसलिए वह रूपयो के लिए काफी परेशान रहता है। इस समय वह कोई कामधाम नहीं करता है तथा अधिकांशत: वह मेरे साथ ही रहता है। दिनांक 06.02.2025 को हरिओम सविता उर्फ दीपक ने मुझे बताया कि मुझे रूपयों की बहुत आवश्यकता है। कस्बे का एक व्यापारी आज वृहस्पतिवार बाजार के दिन मार्केट से पैसा बसूलने आयेगा, जब वो वापस जायेगा तो उस समय हम उससे रूपये छीन सकते हैं। तुम केवल उस पर नजर बनाये रखो और मुझे बताते रहो। इस पर हम दोनों एक राय होकर व्यापारी से रूपये लूट करने के इरादे से रेलवे अण्डरपास वाले रोड पर आये। मैं बीएसएनएल आफिस के पास ही दीवार के किनारे खड़े होकर व्यापारी का

छिपकर इंतजार करने लगा और हरिओम सविता उर्फ दीपक सीएचसी मोड़ पर खड़ा हो गया। जैसे ही व्यापारी थाना रूरा ग्राउण्ड के किनारे से निकला मैंने हरिओम सविता उर्फ दीपक को इशारा कर दिया। व्यापारी और उसका मुनीम स्कूटी से सीएचसी रूरा अण्डरपास मोड़ बीएसएनएल ऑफिस के पास पहुंचे तो हरिओम सविता उर्फ दीपक ने उनकी आँखो में मिर्च पाउडर डाल दिया जिससे उनकी स्कूटी अनियत्रिंत होकर गिर गयी। हरिओम सविता उर्फ दीपक ने व्यापारी का रूपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया तो व्यापारी द्वारा शोर मचाने पर हरिओम सविता उर्फ दीपक रेलवे क्रासिंग की तरफ भाग गया तथा मैं भी थाना रूरा ग्राउण्ड से होते हुए नई बिल्डिंग की पीछे वाली गली से भाग गया। घटना के बाद ग्राउण्ड में खड़े कुछ लोगो ने मुझे भागते हुए देखा था। आज मैं कहीं जाने की फिराक में था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। साहब मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गयी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 38/2025 धारा 309 (5) बीएनएस थाना रुरा कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 41/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रुरा कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 जनार्दन प्रताप सिंह सिंह
2. व0उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र मलिक
3. उ0नि0 श्री राकेश सिंह
4. हे0का0 657 शिवपाल सिंह भदौरिया
5. का0 653 विवेक कुमार
6. का0 257 लवकुश चौधरी
7. का0 884 सुधीर छौंकर
8. का0 1103 अजय प्रताप